भारत सरकार
संस्कृति मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या : 287
उत्तर देने की तारीख : सोमवार, 05 फरवरी, 2024
16 माघ, 1945 (शक)

विश्व विरासत सूची में शामिल किए जाने के लिए सांस्कृतिक स्थलों का नामांकन

287. श्री जगन्नाथ सरकार:

क्या **संस्कृति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार की निकट भविष्य में विशेषकर पश्चिम बंगाल राज्य से सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए भारत से नामित करने की कोई योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार की शांतिनिकेतन को विश्व विरासत सूची में नामांकित किए जाने के बाद इसके प्रभावी परिरक्षण और प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए सहायता और संसाधन प्रदान करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
संस्कृति, पर्यटन और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री
(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) और (ख): जी, नहीं। पश्चिम बंगाल के किसी अन्य सांस्कृतिक स्थल को नामांकन सत्र 2024-25 में नामांकित करने की ऐसी कोई योजना नहीं है। परिचालन दिशानिर्देश, 2023 के अनुसार, किसी भी नामांकन सत्र के लिए सांस्कृतिक/प्राकृतिक/मिश्रित संपत्ति में से केवल एक संपत्ति को नामांकित किया जा सकता है। इस वर्ष ''भारत का मराठा सैन्य भू-दृश्य'' नामक डोजियर को प्राथमिकता दी गई है।

(ग) और (घ): विश्व धरोहर संपत्ति के रूप में नामित शांतिनिकेतन के विरासत भवनों की सुरक्षा, प्रबंधन और संरक्षण का कार्य भारती विश्वविद्यालय द्वारा किए जाते हैं। एक केंद्रीय विश्वविद्यालय और शिक्षा मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र के तहत राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में भारती विश्वविद्यालय, परिचालन दिशानिर्देश, 2023 में निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी सुरक्षा और संरक्षण की जिम्मेदारी लेता है।

*****